

कार्यालय कमाण्डेन्ट पुलिस ट्रेनिंग स्कूल खेरवाड़ा जिला उदयपुर (राज0)।।

क्रमांक:-प-11(01)प्रशि./खेर/2020/1285-91

दिनांक:-03.07.2020

:-आदेश:-

इस संस्थान में रिक्कूट कानि. वैच संख्या 48/2019 में प्रारम्भिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे निम्नांकित रिक्कूट कानि. इन्डोर /आउटडोर अन्तिम परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने से प्रशिक्षण निदेशालय के स्थाई आदेश 14/1992 के आदेश क्रमांक 7934-8033 दिनांक 06.06.1992 में प्रदत्त निर्देशानुसार इनको एक माह के पुनः प्रशिक्षण हेतु इस संस्थान में रोका जाता है।

क्रम सं.	रोल नं.	नाम प्रशिक्षणार्थी	बेल्ट नं.	भर्ती जिला	इन्डोर विषय में अनुत्तीर्ण	आउटडोर विषय में अनुत्तीर्ण
1	02	श्री बलराम बाल्याण	2389	अलवर	प्रश्न पत्र द्वितीय व तृतीय	-
2	06	" रवि गुर्जर	10229	आयु. जयपुर	प्रश्न पत्र द्वितीय	प्रश्न पत्र तृतीय भाग-अ
3	07	"अमन कुमार	10136	आयु. जयपुर	प्रश्न पत्र द्वितीय	-
4	68	" अशोक सिंह	1440	दौसा	प्रश्न पत्र प्रथम व चतुर्थ	-
5	77	" विशाल सिंह	1492	अलवर	प्रश्न पत्र प्रथम व तृतीय	-
6	79	" अनित कुमार	10227	आयु. जयपुर	प्रश्न पत्र द्वितीय	प्रश्न पत्र पंचम

3/7/2020
(माधुरी वर्मा)

कमाण्डेन्ट
पुलिस ट्रेनिंग स्कूल
खेरवाड़ा

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1-श्रीमान अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस प्रशिक्षण राजस्थान जयपुर।

2-श्रीमान पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) आयुक्तालय जयपुर।

3-श्रीमान पुलिस अधीक्षक जिला अलवर/दौसा।

4-सहायक कमाण्डेन्ट (बी.एस.एफ.)पी.टी.एस.खेरवाड़ा।

5-मुख्य विधि प्रशिक्षक, पी.टी.एस.खेरवाड़ा पास भेजकर लेख है कि अनुत्तीर्ण रिक्कूट कानिगणों को इन्डोर में अनुत्तीर्ण विषयों का गहन प्रशिक्षण प्रारम्भ किया जाकर पालना रिपोर्ट से इस कार्यालय को अवगत करावे।

6-संचित निरीक्षक पी.टी.एस.खेरवाड़ा पास भेजकर लेख है कि अनुत्तीर्ण रिक्कूट कानिगणों को आउटडोर में अनुत्तीर्ण विषयों का गहन प्रशिक्षण प्रारम्भ किया जाकर पालना रिपोर्ट से इस कार्यालय को अवगत करावे।

R.R-236

4.7.20

3/7/2020
कमाण्डेन्ट

पुलिस ट्रेनिंग स्कूल
खेरवाड़ा